न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14 / 2018 (उदयपुर डिकी)

होरा पिता उदा जी गाडरी, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भगा पिता उंकार जी गाडरी, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. देवा पिता उंकार जी गाडरी, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पान्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 31.01.2001, प्र. सं.163/1998

———/———

उपस्थित (वक्तबहस) 1. श्री भूरालाल डांगी अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री प्रमोद दाणी अभिभाषक र. सं. 1 व 2
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

22–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेरोदा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''क'' वर्णित कुल किता 7 रकबा 3

बीघा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उदा पिता उंकार गाडरी के नाम अंकित है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''ख'' में अंकित आराजी नंबर 3836 में उदा पिता उंकार गाडरी का 1/16 हिस्सा एवं आराजी चाह नंबर 3745 में उदा पिता उंकार गाडरी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष उंकार के तीन पुत्र उदा, भगा व देवा हुऐ। उदा का पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 हीरा है तथा भगा व देवा उंकार के पुत्र होकर वादीगण हैं, किन्तु उदा सबसे बड़े भाई होने से भूमियां उसके अकेले के नाम दर्ज हो गयी, जबकि उंकार के तीनों पुत्रों प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार पक्षकारान काबिज हैं। अतः उपरोक्तानुसार विवादित भूमियों का विभाजन कराया जाकर उदा के हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में स्वीकृति का जवाबदावा प्रस्तुत होने से तनकियात कायम नहीं की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31–01–2001 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 31–01–2001 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–01–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने भूमि का लोन लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उसे उक्त निर्णय की जानकारी प्रथम बार दिनांक 10–01–2018 को हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट ने वाद की सभी कलमों को स्वीकार किया है तथा उसकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गयी है, जिस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को हस्तगत प्रकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, फिर भी उसके द्वारा करीब 17 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। हालांकि उक्त अपील करीब 17 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिऐ जो कारण अपीलान्ट द्वारा लिये गये हैं, वह उचित प्रतीत नहीं होते हैं, फिर भी अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री प्रमोद दाणी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अपीलान्ट अनपढ़ होकर मात्र हस्ताक्षर करता है, जिसे धोखे में रखकर सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत करवाया गया है। आराजी नंबर 3741 रकबा 10 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता उदा की स्वअर्जित सम्पत्ति है। पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत थी, किन्तु बिना साक्ष्य लिये मात्र मौका रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी, जबकि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित ही नहीं की गयी। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं अपीलान्ट/प्रतिवादी ने स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया है तथा मौका रिपोर्ट इनकी उपस्थिति में तैयार की गयी है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद डिक्री किया गया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–01–2001 में अंकित किया है कि पी.डी. अनुसार वाद डिक्री करने में दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है, जबकि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी ही नहीं हुई। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रारम्भिक डिक्री जारी किये अंतिम डिक्री में पारित निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31–01–2001 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में सर्वप्रथम प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर उसके आधार पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षों की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–07–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जाव। निर्णय आज दिनांक 22–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

पन्नालाल पिता शंकरलाल माली, नि0 ईण्टाली, तह॰ मावली, जिला उदयपुर

बनाम

रामा पिता शंकरलाल माली, नि0 ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....67 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....वल्लभनगर..... मुकाम.....मुवर्खे.....20.....माह..... 05.....2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....26....माह.....04.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री तुलसीराम डांगी.....मिनजानिब अपीलान्ट व....श्री अजयसिंह हाडा

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20–05–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....26.....माह.....04..... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपोलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।